न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 130 / 2018
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 18.03.2020

1. सुरेश पुत्र पूरना जाति जाटव निवासी वैलारा तहसील नदबई
2. वीरेन्द्र पुत्र पूरना जाति जाटव निवासी वैलारा तहसील नदबई
3. अंगूरी बेना पूरना जाति जाटव निवासी वैलारा तहसील नदबई
4. राधा पुत्री पूरना जाति जाटव निवासी वैलारा तहसील नदबई
5. पप्पी पुत्री पूरना जाति जाटव निवासी वैलारा तहसील नदबई
6. मीना पुत्री पूरना जाति जाटव निवासी वैलारा तहसील नदबई
7. सरोज पुत्री पूरना जाति जाटव निवासी वैलारा तहसील नदबई
8. कमलसिंह पुत्र मंगतू जाति जाटव निवासी वैलारा तहसील नदबई
9. गीता पुत्री मंगतू जाति जाटव निवासी वैलारा तहसील नदबई

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री नन्नूराम शर्मा एड0

निर्णय

दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादीगण द्वारा दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत पेश किया गया है।
2. यह कि आराजी हाल खसरा न. 709 रकबा 0.25, जिसका बंदोबस्त संवत 2060 के पूर्व का साबिक खसरा न. 306 रकबा 1.00 तथा बंदोबस्त संवत 2028 के पूर्व का खसरा न. 165 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ग्राम वैलारा तहसील नदबई पर वादीगण के पिता पूरना से विरासतन प्राप्त हुयी है। जो पुश्तैनी आराजी है, और वर्तमान राजस्व अभिलेख में गैरखातेदार दर्ज है।
3. यह कि आराजी मुतनाजा वादीगण सं. 1 व 2 व 4 लगायत 9 के बाबा तथा वादिनी सं. 3 के सुसर स्व. सामलिया की कब्जेकाश्त में दर्ज गैरमौरोसी की आराजी थी। जिसे कालांतर में विवादित आराजी पर खातेदार घोषित किया गया था, परंतु दौराने बंदोबस्त संबत 2028 में सामलिया को कतई खिलाफ कानून आराजी मुतनाजा पर गैरखातेदार दर्ज कर दिया। जो इन्द्राजात आज तक रिकॉर्ड में गैरखातेदार ही चले आ रहे हैं। जो वादीगण के अधिकार के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

विवादित कथित कलमजन की है। वह अपने आराजी बंदोबस्त के पश्चात् किये गये अवैध इन्द्राजात गैर खातेदारी को दुरुस्त करा पाने के अधिकारी है।

4. यह कि प्रतिवादी का आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी किस्म का नहीं है। परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैरखातेदारी के रिकॉर्ड के रहते वह वादीगण को किसी प्रकार के लाभ व परिणाम से महरूम रखे हुए है। वादीगण अनुसूचित जाति के काश्तकार [illegible] व मजदूरपेशा कानूनी पेचिदगियों से बेखबर व्यक्ति है। जिन्हें गैरखातेदारी इन्द्राजात का इल्म [illegible] रिकॉर्ड प्राप्त करने से हुआ है। [illegible] के बाद घोषणा खातेदारी का पेश किया है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वादपत्र इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वह आराजी मुतनाजा के खातेदार कृषक है। जो इन्द्राजात गैरखातेदारी दौराने बंदोबस्त संवत 2028 अवैध तरीके से दर्ज है। वह काबिल कलमजन के है तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये, तथा अपना जबाब दावा पेश किया गया। अपने जबाब में वर्णित किया कि बिंदु सं. 1 कानूनी है, व बिंदु सं. 2 रिकॉर्ड के आधार पर स्वीकार है। बिंदु सं. 3 रिकॉर्ड के अनुसार आंशिक स्वीकार है, बाकी अस्वीकार है।क्योंकि विवादित आराजी आवंटित नहीं है। विवादित आराजी गैरमौरोसी दर्ज है, जिसका आवंटन नहीं हुआ है। अतः दावा खारिज योग्य है।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जबाब के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी। जो निम्नानुसार है :-

1. आया वादी विवादित आराजीयात वादीगण को विरासत से प्राप्त पुश्तैनी है, जिस पर वह वर्तमान मे गैरखातेदार दर्ज है। --जिम्मेवादीगण
2. आया विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज सामलिया की खातेदारी में दर्ज थी जिसे दौराने बंदोबस्त संबत 2028 मे बिना किसी अधिकार के गैरखातेदार दर्ज कर दिया था।-- जिम्मेवादीगण
3. आया वादीगण विवादित आराजी पर गैरखातेदारी इन्द्राज्जात को कलमजन कर अपने नाम खातेदारी करा पाने के मुस्तक हैं। – जिम्मेवादीगण
4. आया विवादित आराजी गैरमौरोसी है। जिसका आवंटन नहीं हुआ है।– जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संबत 2069–72 वाके ग्राम वैलारा प्रदर्श –1, नकल मिलान क्षेत्र 2028 व 2060 प्रदर्श 2 व 3, जमाबंदी संबत 2010 वाके ग्राम वैलारा प्रदर्श–4, जमाबंदी संबत 2012 वाके ग्राम वैलारा प्रदर्श–5, नकल पर्चा बंदोबस्त संबत 2026 वाके ग्राम वैलारा प्रदर्श 6, नकल जमाबंदी संबत 2033 वाके ग्राम वैलारा प्रदर्श–7, जमाबंदी संबत 2042 वाके ग्राम वैलारा प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी संबत 2034 वाके ग्राम वैलारा प्रदर्श–9,जमाबंदी संबत 2049 वाके ग्राम वैलारा प्रदर्श–10, तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

शपथपत्र सुरेश पुत्र पूरना जाति जाटव निवासी वैलारा, गिरधारी पुत्र ननुआ जाति जाट निवासी वैलारा पेश किये गये। जिनसे जिरह पैरोकार सरकार द्वारा की गयी।

प्रतिवादी की ओर से अपने जबाव के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस को सुना गया, व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौखिक बयानो का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार इस प्रकार है :–

1. आया वादी विवादित आराजीयात वादीगण को विरासत से प्राप्त पुश्तैनी है, जिस पर वह वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड से साबित है कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण को विरासत के रूप में प्राप्त हुयी है।
2. आया विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज सामलिया की खातेदारी में दर्ज थी जिसे दौराने बंदोबस्त संबत 2028 में बिना किसी अधिकार के गैरखातेदार दर्ज कर दिया था। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा विवादित आराजी मद सं. 2 वादपत्र में वर्णित है कि जिसमें वादी ने बताया कि विवादित आराजी का वर्तमान खसरा न. 709 रकवा 0.25 है. बंदोबस्त संबत 2060 व 2028 के साबिक खसरा न. क्रमशः 306 रकवा 1 वीघा तथा 165 मिन. रकवा 1 वीघा 11 विस्वा से बना है, जो बंदोबस्त संबत 2028 पूर्व में वादीगण के दादा सामलिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड था। इस बाबत् वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संबत 2010 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी संबत 2012 प्रदर्श–5 व जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल संबत 2060 व 2028 प्रदर्श 2 व 3 पेश किये है। मिलान क्षेत्रफल संबत 2060 व 2028 से साबित है कि विवादित आराजी खसरा न. 709 के बंदोबस्त संबत 2060 व 2028 के पूर्व के साबिक खसरा न. 306 रकवा 1 वीघा व 165 मिन. 1 वीघा 11 विस्वा है, लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संबत 2010–13 व 2022 –2025 में वादीगण के पिता खसरा न. 165 मिन 1 वीघा 10 विस्वा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, अर्थात वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल में वर्णित रकवे व वादीगण के पिता के नाम जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बरान के मिलान नहीं होता है, साथ ही वादीगण के दादा सामलिया जमाबंदी संबत 2010 लगायत 13 में गैरमौरोसी दर्ज रिकॉर्ड है, एवं जमाबंदी संबत 2022 व 25 में खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा अपने जबाब व बहस में यह नहीं बताया कि वादीगण को खातेदारी किस प्रकार व किस आदेश से प्राप्त हुयी है व न ही इस बाबत् कोई दस्तावेज पेश किया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।
3. आया वादीगण विवादित आराजी पर गैरखातेदारी इन्द्राजात को कलमजन कर अपने नाम खातेदारी करा पाने के मुश्तक हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। तनकी सं. 1 व 2 के निर्णय से वादीगण यह साबित नहीं कर पाये हैं कि उक्त विवादित आराजीयात किस प्रकार से किस आदेश से प्राप्त हुयी है। इस बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं

Scanned with CamScanner

किया है। इसलिये वादीगण विवादित आराजी पर खातेदारी दर्ज करा पाने का अधिकारी नहीं है।

4. आया विवादित आराजी गैरमौरोसी है। जिसका आवंटन नहीं हुआ है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादीगण द्वारा विवादित आराजी किस रूप में किस आदेश से या आवंटन से प्राप्त नहीं हुयी है यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ व प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः वादी का वादपत्र खारिज किया जाना उचित है। अतः आदेश है कि वादीगण का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner